राजस्थान सरकार
<u>नगरीय विकास विभाग</u>

क्रमांकः—प.6(15)नविवि/3/1987 पार्ट जयपुर, दिनांकः 18 NOV 2022

आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण की पृथ्वीराज नगर योजना में आवासीय/व्यावसायिक/संस्थानिक/मिश्रित एकल पट्टो के सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण को निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये जाते हैः—

1. खातेदार अथवा क्रेता द्वारा चेन ऑफ डाक्यूमेंट के आधार पर प्रस्तुत एकल पट्टे के प्रकरणों में मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेन्ट प्लान के अनुसार उपयोग का प्रावधान होने पर पृथ्वीराज नगर बाबत निर्धारित दरो (1000 वर्गगज एवं अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों के लिये) पर राशि वसूल की जाकर एकल पट्टा जारी किया जावें।
2. 1000 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल के एकल पट्टे के प्रकरणों में 10 प्रतिशत क्षेत्रफल अथवा 100 वर्गगज, जो भी अधिक हो सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित रखा जावें तथा शेष भूमि का एकल पट्टा जारी किया जावें। सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित रखे गये क्षेत्रफल के सम्बन्ध में इस आशय का शपथ पत्र भी प्राप्त किया जावें कि भविष्य में इस भूमि हेतु आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का मुआवजा क्लेम नही किया जायेगा।
3. पृथ्वीराज नगर योजना अवाप्त शुदा भूमि है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त योजना में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु धारा 90ए की कार्यवाही नही की जाकर भूमि को अवाप्तशुदा भूमि मानते हुये योजना मानचित्र अनुमोदित किया गया है। अतः पृथ्वीराज नगर योजना में एकल पट्टा जारी किये जाने हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति अपेक्षित नही है। पृथ्वीराज नगर योजना हेतु समय—समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशो के अनुसार प्राधिकरण स्तर पर ही नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह०

(अवधेश सिंह)
संयुक्त शासन सचिव—तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव—तृतीय